

—:कार्यालय ज्ञाप:—

प्रभारी निरीक्षक मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद ने अपनी आख्या द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "नजब खान पुत्र कल्लन खॉ निवासी चक्की वाली गली मौ0 फतेहउल्लागंज ठाकुरद्वारा मुरादाबाद" द्वारा अपने साथियों के साथ एक सामूहिक गैंग बनाकर वाहन चोरी जैसे अपराध कारित करता है एवं जिनका जनमानस में भय व्याप्त है, जिनका स्वच्छन्द रहना जनहित में न्याय संगत नहीं है, जिनकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं सर्तक दृष्टि रखे जाने हेतु गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है।


अतः प्रभारी निरीक्षक मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं गैंग नोट व गैंग चार्ट की समीक्षा की गयी जिसमें गैंग का सूचीबद्ध करने के पर्याप्त कारण होने के परिणामस्वरूप "नजब खान पुत्र कल्लन खॉ निवासी चक्की वाली गली मौ0 फतेहउल्लागंज ठाकुरद्वारा मुरादाबाद" के गैंग को गैंग संख्या: डी-210, श्रेणी-वाहन चोरी नम्बर देकर जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया जाता है।

गैंग के सदस्यों का विवरण

- नजब खान पुत्र कल्लन खॉ निवासी चक्की वाली गली मौ0 फतेहउल्लागंज ठाकुरद्वारा मुरादाबाद (लीडर)
- इरफान पुत्र हनीफ उर्फ गामा निवासी धीमरखेडा थाना आई0टी0आई0 काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड (सदस्य)
- रवि जाटव पुत्र श्यौराज सिंह निवासी पनवारा बृजघाट हापुड
- अनीस अहमद पुत्र अनवार निवासी गली न0 18/1 मुस्तफाबाद दिल्ली

पत्रांक: डीसीआरबी-गैंग(डी-210)/2023

दिनांक: फरवरी ,2023


(रवि कुमार)

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
गाजियाबाद

प्रतिलिपि:-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ0प्र0।
- 3.समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0।
- 4.समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
- 5.पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6.समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
- 7.पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रान्स हिण्डन/अपराध गाजियाबाद।
- 8.समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद
- 9.समस्त थाना प्रभारी गाजियाबाद।
- 10.प्रभारी निरीक्षक मसूरी को इस निर्देश के साथ कि गैंग का विवरण थाने के अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए समस्त सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण एवं सदस्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रतिमाह की 01 तारीख को प्रभारी डी0सी0आर0बी0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

-:कार्यालय ज्ञाप:-

थानाध्यक्ष मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद ने अपनी आख्या द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "इरशाद पुत्र निशार निवासी प्याऊ वाली गली वार्ड नम्बर 21 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद" द्वारा अपने साथियों के साथ एक सामूहिक गैंग बनाकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करता है एवं जिनका जनमानस में भय व्याप्त है, जिनका स्वच्छन्द रहना जनहित में न्याय संगत नहीं है, जिनकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं सर्तक दृष्टि रखे जाने हेतु गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः थानाध्यक्ष मुरादनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं गैंग नोट व गैंग चार्ट की समीक्षा की गयी जिसमें गैंग का सूचीबद्ध करने के पर्याप्त कारण होने के परिणामस्वरूप "इरशाद पुत्र निशार निवासी प्याऊ वाली गली वार्ड नम्बर 21 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद" के गैंग को गैंग संख्या: डी-207, श्रेणी-हत्या नम्बर देकर जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया जाता है।

गैंग के सदस्यों का विवरण

- इरशाद पुत्र निशार निवासी प्याऊ वाली गली वार्ड नम्बर 21 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद (लीडर)
- फैजान पुत्र निशार निवासी प्याऊ वाली गली वार्ड नम्बर 21 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद (सदस्य)
- निशार पुत्र हकीमुददीन नि० प्याऊ वाली गली वार्ड नम्बर 21 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद (सदस्य)


(रवि कुमार)

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
गाजियाबाद

पत्रांक: डीसीआरबी-गैंग(डी-207)/2023

दिनांक: फरवरी ,2023

प्रतिलिपि:-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ०प्र०।
- 3.समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ०प्र०।
- 4.समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ०प्र०।
- 5.पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6.समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उ०प्र०।
- 7.पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रान्स हिण्डन/अपराध गाजियाबाद।
- 8.समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद
- 9.समस्त थाना प्रभारी गाजियाबाद।
- 10.थानाध्यक्ष मुरादनगर को इस निर्देश के साथ कि गैंग का विवरण थाने के अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए समस्त सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण एवं सदस्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रतिमाह की 01 तारीख को प्रभारी डी०सी०आर०बी० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।